

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 जनवरी 2021 — माघ 7, शक 1942

गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 जनवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 12-1/दो-गृह/सै.क./2019.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ सैनिक कल्याण संचालनालय (तृतीय श्रेणी अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, —

अनुसूची-चार के “अधीक्षक” तथा “सहायक/उच्च श्रेणी लिपिक/लेखापाल/रोकड़िया/लेखा परीक्षक” के कॉलम (1) से (3) की संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
सहायक ग्रेड-एक/अधीक्षक	अनुभाग अधिकारी	सहायक ग्रेड-एक/अधीक्षक, जिसने इस पद पर न्यूनतम 5 वर्ष सेवा की हो।
सहायक ग्रेड-दो/ लेखापाल/रोकड़िया/लेखा परीक्षक	सहायक ग्रेड-एक /अधीक्षक	सहायक ग्रेड-दो/ लेखापाल/ रोकड़िया/लेखा परीक्षक, जिसने इन पदों पर न्यूनतम 8 वर्ष सेवा की हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 19th January 2021

NOTIFICATION

No. F 12-1/02(HOME)/DSW/2019.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Directorate of Sainik Welfare (Class III Non - Gazetted) Recruitment Rules, 1987, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules, -

For the entries relating to column (1) to Column (3) of “Superintendent” and “Assistant/UDC/Accountant/Cashier/Auditor” of Schedule – IV, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)
Assistant Grade-I / Superintendent	Section Officer	Assistant Grade-I/ Superintendent with minimum 5 years service in the post.
Assistant Grade-II/ Accountant/Cashier/Auditor	Assistant Grade-I / Superintendent	Assistant Grade -II/ Accountant / Cashier/Auditor with minimum 8 years service in the post.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR DHURVE, Joint Secretary.